न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 17/2017 (76 एल .आर. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00061

उनवान

पोहप सिंह उम्र करीब 62 वर्ष पुत्र श्री नवले जाति बघेला निवासी ग्राम उमरारा तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सैपऊ जिला धौलपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 06.01.2017 प्र.संख्या 30/16 उनवानी पोहप सिंह बनाम सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अशोक दिवाकर उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय दिनांक– 12.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 06.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सैपऊ ने आराजी खसरा नम्बर 31 रकवा 36 बीघा 08 विस्वा में से 01 बीघा किस्म गैर मुमकिन चारागाह स्थित ग्राम उमरारा तहसील सैपऊ, पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये, बाबजूद सूचना अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर 91 एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 91(6) के अन्तर्गत संबंधित पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2017 से खारिज कर दी। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष विवादित आराजी पर कब्जा छोडने एवं भविष्य में कभी भी कब्जा नहीं करने तथा भविष्य में कब्जा पाये जाने पर सजा भुगतने को तैयार होने का शपथ पत्र देने को तैयार था। किन्तु फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है। अपीलाण्ट का वर्तमान में विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को कब्जा बाबत् मौके की रिपोर्ट मॅगवानी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं मंगवायी है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानने के लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपने विशेष कथन में अपीलाण्ट द्वारा भविष्य में कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नही करेगा, इस आशय का शपथ पत्र वक्त बहस देने का कथन करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने एवं धारा 91(6) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि गैर मुमकिन चारागाह की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नही है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी नही है। अपीलाण्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अपीलाण्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में ही आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ 91(6) की कार्यवाही उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नही की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट का प्रमुखता से कथन यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर में कब्जा छोडे जाने का शपथ– पत्र प्रस्तुत करने को तैयार था। बाबजूद तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, धौलपुर द्वारा 91(6) की कार्यवाही समाप्त नहीं की एवं अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलक्टर के समक्ष प्रथम अपील में अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ–पत्र संलग्न है, जो विवादित आराजी पर अतिक्रमण होने की स्वीकृति को दर्शाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। ऐसी स्थिति में कथित रूप से अतिक्रमण हटा लेने मात्र से, अपीलाण्ट दण्ड के दायित्व को नही टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर 91(6) की कार्यवाही के आदेश पारित किये हैं एवं प्रथम अपील भी उचित ही खारिज की गई है।

6. परन्तु वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपीलाण्ट की ओर से पुनः अतिक्रमण नही करने का परिवचन (UNDERTAKING) देने की तत्परता दर्शाई गई है एवं अपीलाण्ट कब्जा हटाने का शपथ पत्र देना एवं पुनः अतिक्रमण नहीं करना कहता है। अतः हम, अपील अल्पांश स्वीकार करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैपऊ को निर्देशित करना चाहेंगें कि प्राथमिकी दर्ज किये जाने से पूर्व मौके पर सत्यापन कर लेवें, यदि अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण हटाना पाया जावें एवं अपीलाण्ट पुनः भविष्य में अतिक्रमण नही करने का परिवचन दिनांक 30.10.2018 तक

Web Copy Not Official

प्रस्तुत कर देवें, तो प्राथमिकी दर्ज किये जाने के आदेश को स्थगित रखें। अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर 91(6) की कार्यवाही का क्रियान्वयन करें।

7. अतः अपील अपीलांट अल्पांश स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official